प्रेसनोट, दिनांक 24.06.2026
थाना आसीवन, जनपद उन्नाव

संपत्ति जब्तीकरण कार्यवाही

गैंगस्टर एक्ट के 06 अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित कुल 01 करोड़ 56 लाख 05 हजार रुपये करीब मूल्य की 05 अचल संपत्तियों को जब्त/कुर्क किया गया

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा 06 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त अपराधियों की समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित की गई 05 अवैध चल संपत्ति जिनकी कीमत कुल 01 करोड़ 56 लाख 05 हजार रुपये करीब है, को जब्त / कुर्क किया गया।

संक्षिप्त विवरण – प्रभारी निरीक्षक औरास की आख्या दिनांक 02.06.2026 द्वारा अवगत कराया गया कि थाना आसीवन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 20/26 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में 1. राधेश्याम यादव पुत्र सुन्दर उम्र करीब 45 वर्ष, 2. राम रहीश पुत्र पृथ्वीपाल उम्र करीब 52 वर्ष, 3. अभिषेक यादव पुत्र श्याम सुन्दर उम्र करीब 23 वर्ष, 4. मज्जन उर्फ कुलवन्त पुत्र स्व० श्यामसुन्दर उर्फ भइयन उम्र करीब 34 वर्ष, 5. शेर सिंह उर्फ राजेश पुत्र रामऔतार उम्र 50 वर्ष निवासीगण ग्राम नौगवां थाना आसीवन जनपद उन्नाव, 6. अंकित उर्फ छुन्नू पुत्र पुतान उम्र करीब 23 वर्ष नि०ग्राम अरेरखुर्द थाना आसीवन जनपद उन्नाव नामित अभियुक्तगण है। अभियुक्तगण द्वारा गिरोह बनाकर कृत्य करके अपने व अपने सगे संबन्धियों के नाम अवैध धन से चल/अचल संपत्तियां अर्जित की गई हैं।

आज दिनांक 24.06.2026 को जिलाधिकारी उन्नाव के आदेश के अनुपालन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन में वाद संख्या 08/2026 धारा 14(1) गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए राजस्व एवं थाना आसीवन एव थाना औरास पुलिस

टीम द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई कुल- 05 भू सम्पत्तियों कीमत करीब 01 करोड़ 56 लाख 05 हजार रुपये की अचल संपत्ति को ज़ब्त कर कुर्क किया गया।

जब्त संपत्ति का विवरणः-

क्र0सं0	अभियुक्त/स्वामी का नाम	संपत्ति का विवरण	संपत्ति क्रय का दिनांक	मूल्य
1.	मज्जन उर्फ कुलवंत	गाटा संख्या 1096 रकबा 43.68 वर्ग मीटर सिविल लाइन केवट रामपुरी थाना कोतवाली सदर	दिनांक 15.10.2022	7,85,000/-
2.	राधेश्याम	गाटा संख्या 1096 रकबा 43.68 वर्ग मीटर सिविल लाइन केवट रामपुरी थाना कोतवाली सदर उन्नाव	दिनांक 15.10.2022	5,26,000/-
3.	रामेश्वरी उर्फ राजेश्वरी (राधेश्याम की माँ)	गाटा संख्या 353 रकबा 351.12 वर्ग मीटर कृष्णा पुरम किशोरी खेड़ा थाना कोतवाली सदर जपनद उन्नाव	दिनांक 06.04.2011	1,06,57,000/-
4.	रामरहीश	गाटा संख्या 72 रकबा 1.852 हे0 ग्राम नौगवां विकासखंड 4302/14	दिनांक 19.05.2014	14,41,000/-
5.	रामेश्वरी उर्फ राजेश्वरी (राधेश्याम की माँ)	गाटा संख्या 136 रकबा 0.6100 हे0 ग्राम नौगवा विकासखंड 2755/20	दिनांक 12.06.2020	21,96,000/-

कुल सम्पत्ति कीमती – ₹01,56,05,000/- (01 करोड़ 56 लाख 05 हजार रुपये)

मकान श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव
महोदय के द्वारा धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट
में कुर्क किया गया है जिसको खरीदना या
बेचना दंडनीय अपराध है ऐसा करने वाले के विरुद्ध
कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्नाव पुलिस

यह भूमी श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव
महोदय के द्वारा धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट
में कुर्क किया गया है जिसको खरीदना या
बेचना दंडनीय अपराध है ऐसा करने वाले के विरुद्ध
कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्नाव पुलिस

Mob.: 9793046499, 9044237894
संजय रबर स्टैम्प वर्क्स
पालीमर, प्री इन्क, सेल्फ इन्क स्टैम्प, बैंक डेटर
व सभी प्रकार की मोहरों के लिये सम्पर्क करें।
यह मकान श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव
महोदय के द्वारा धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट
में कुर्क किया गया है जिसको खरीदना या
बेचना दंडनीय अपराध है ऐसा करने वाले के विरुद्ध
कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्नाव पुलिस